न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 296/2020

अनवान : –

1. सुमन पत्नी लक्ष्मीनारायण जाति जाट निवासी गन्धेली तहसील रावतसर।
2. सिलोचना पत्नी रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी गन्धेली तहसील रावतसर।

– वादीगण

बनाम

1. औकारसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
2. नरेश कुमार पुत्र मनीराम जाति ब्राहमण निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
3. पृथ्वीसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
4. भीमसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
5. सुगना देवी पत्नी रेवन्तराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
7. शाखा प्रबन्धक, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड शाखा मुण्डा तहसील हनुमानगढ़।
8. शाखा प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक शाखा नोहर।
9. मैनेजर राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा बिरकाली तहसील नोहर।
10. शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा गन्धेली तहसील रावतसर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**

निर्णय दिनांकः- 30/05/2025

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 53 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा मुन्सरी तहसील नोहर के खाता स0 111/110 के ख0न0 317 की 16.0360 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि का खाता व लगान मुश्तरका रहने से आपस में सींव डोल आदि का झगड़ा बना रहता है तथा लगान के संबंध में तनाजात रहते है उक्त वाद भूमि में से 12 बिघा 13–3/5 बिस्वा भूमि दिनांक 08.06.2006 को सुमेरसिंह पुत्र भंवरसिंह से वादीया ने खरीद की है तथा मौके पर खरीद शुदा भूमि पर काबिज है, उत्तर की तरफ सुगनी व रेवन्ताराम व भीमसिंह वगैरह, दक्षिण मे नरेश कुमार पुत्र मनीराम, पूर्व मे सड़क, पश्चिम में विशाल कंवर पत्नी आजाद सिंह व जगमाल पुत्र बख्तावर सिंह है। वादीया के अपने कब्जा काश्त की भूमि को समतल व उपजाउ बना रखा है। वादीया मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के खाता व लगान अलग करवाना चाहती है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई मर्तबा कहा की विवादित भूमि का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के खाता एवं लगान [illegible] कई दिन तक आजकल आजकल करते रहें आखिर इन्कार हो गये [illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.06.16 17:57:03 IST
Reason: SelfAttested

अतः वाद वादी घोषणा की जावे की रोही मौजा मुन्सरी तहसील [illegible] के खाता स0 111/110 के ख0न0 317 की 16.0360 हैक्ट भूमि भूमि पक्षकारान के मुश्तरका खाता में दर्ज

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

राजस्व रिकार्ड है का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के अनुसार खाता व लगान अलग किया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 को सम्यक नोटिस तामिल होने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 6 पेरोकार राज द्वारा जवाब पेश किया गया जो की शामिल मिसल किया गया।

साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया राजस्व रिकार्ड में हक हिस्सा अनुसार एवं कब्जा काश्त के मुताबिक दावा के अनुतोष वाद वादी प्राथमिक डिक्री किये जाने का निवेदन किया। वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किया गया।

विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया की मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी डिक्री किया जावे।

वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा मुन्सरी तहसील नोहर के खाता स0 111/110 के ख0न0 317 की 16.0360 हैक्ट भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है–

1 सुमन पत्नी लक्ष्मीनारायण जाति जाट सा0 गन्धेली रहन एसबीआई शाखा गन्धेली – **ख0न0 317 रकबा 1.6035 हैक्ट**

2 सिलोचना पत्नी रामेश्वरलाल जाति जाट सा0 गन्धेली रहन एसबीआई शाखा गन्धेली– **ख0न0 317 रकबा 1.6035 हैक्ट**

3 ओकारसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत सा0 बिरकाली रहन एचडीएफसी शाखा नोहर– **ख0न0 317 रकबा 3.207 हैक्ट**

4 नरेश कुमार पुत्र मनीराम जाति ब्राहमण सा0 बिरकाली रहन आरएमजीबी शाखा बिरकाली – **ख0न0 317 रकबा 3.207 हैक्ट**

5 विक्रम सिंह पुत्र पृथ्वीराज जाति राजपूत सा0 बिरकाली रहन आरएमजीबी शाखा बिरकाली – **ख0न0 317 रकबा 3.208 हैक्ट**

6 भीमसिंह पुत्र पृथ्वीराज जाति राजपूत सा0 बिरकाली रहन एचडीएफसी शाखा हनुमानगढ़ – **ख0न0 317 रकबा 1.057 हैक्ट**

7 सुगना पत्नी रेवन्ताराम जाति जाट सा0 बिरकाली रहन बीओबी शाखा नोहर–**ख0न0 317 रकबा 2.150 हैक्ट**

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.06.16 17:57:03 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना–अपना वहन करे। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 30/05/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.06.16 17:57:03 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 296/2020

अनवान : –

1. सुमन पत्नी लक्ष्मीनारायण जाति जाट निवासी गन्धेली तहसील रावतसर।
2. सिलोचना पत्नी रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी गन्धेली तहसील रावतसर।

– वादीगण

बनाम

1. औकारसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
2. नरेश कुमार पुत्र मनीराम जाति ब्राहमण निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
3. पृथ्वीसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
4. भीमसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
5. सुगना देवी पत्नी रेवन्तराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नेाहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
7. शाखा प्रबन्धक, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड शाखा मुण्डा तहसील हनुमानगढ़।
8. शाखा प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक शाखा नोहर।
9. मैनेजर राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा बिरकाली तहसील नोहर।
10. शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा गन्धेली तहसील रावतसर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 1012 सन 2022 निर्णय दिनांक 30/05/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों के आधार साबित होने के कारण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा मुन्सरी तहसील नोहर के खाता स0 111 की 16.0360 हैक्ट भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है–

1. सुमन पत्नी लक्ष्मीनारायण जाति जाट सा0 गन्धेली रहन एसबीआई शाखा गन्धेली – **ख0न0 317 रकबा 1.6035 हैक्ट**
2. सिलोचना पत्नी रामेश्वरलाल जाति जाट सा0 गन्धेली रहन एसबीआई शाखा गन्धेली– **ख0न0 317 रकबा 1.6035 हैक्ट**
3. ओकारसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत सा0 बिरकाली रहन एचडीएफसी शाखा नोहर– **ख0न0 317 रकबा 3.207 हैक्ट**
4. नरेश कुमार पुत्र मनीराम जाति ब्राहमण सा0 बिरकाली रहन आरएमजीबी शाखा बिरकाली – **ख0न0 317 रकबा 3.207 हैक्ट**
5. विक्रम सिंह पुत्र पृथ्वीराज जाति राजपूत सा0 बिरकाली रहन आरएमजीबी शाखा बिरकाली – **ख0न0 317 रकबा 3.208 हैक्ट**
6. भीमसिंह पुत्र पृथ्वीराज जाति राजपूत सा0 बिरकाली रहन एचडीएफसी शाखा हनुमानगढ़ – **ख0न0 317 रकबा 1.057 हैक्ट**
7. सुगना पत्नी रेवन्ताराम जाति जाट सा0 बिरकाली रहन बीओबी शाखा नोहर–**ख0न0 317 रकबा 2.150 हैक्ट**

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

यह अंतिम डिक्री आज दिनांक 30/05/25 [illegible] हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.06.16 17:57:03 IST
Reason: SelfAttested

(पकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर